(1)

माननीय सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

राजस्व पुनरीक्षण क्रमांक /2017 R 827-I-17

श्रीमती रेखा पत्नी श्री रामचन्द्र सोनी
उम्र 42 वर्ष निवासी चंदौरा तहसील
अजयगढ़ जिला पन्ना म0प्र0 .....आवेदक/निगरानीकर्ता

बनाम्

रामशरण पिता श्री रामलाल अहिरवार उम्र
56 वर्ष निवासी ग्राम चंदौरा तहसील अजयगढ़
जिला पन्ना म0प्र0 .....अनावेदक/निगरानीग्रहिता

पुनरीक्षण (निगरानी) अन्तर्गत धारा 50(1) म0प्र0भू–राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध राजस्व प्र0क्रं0 37/अपील/ए 6 ए / 2015–16 श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय अजयगढ़ द्वारा तहसीलदार अजयगढ़ के एकपक्षीय रिकार्ड सुधार आदेश दिनांक 24.02.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत उपरोक्त अपील धारा 05 परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक 31.01.2017 द्वारा समय–सीमा में अग्राह की गई।

श्री ... द्वारा आज दि. 7-3-17 को प्रस्तुत

आवेदक/निगरानीकर्ता कि निम्न निवेदन है:–

–:: निगरानी के संक्षिप्त तथ्य ::–

अनावेदक रामशरण द्वारा एक आवेदन तहसीलदार अजयगढ़ को रिकार्ड सुधार हेतु प्रस्तुत कर यह अभ्यावेदना की गई कि ग्राम चन्दौरा स्थित आराजी नं0 99/1 रकवा 0.695हे0 उसके पिता रामलाल पिता टिढ़ी चमार निवासी चन्दौरा के नाम पर दिनांक 24.12.1975 को शासकीय पट्टे पर दी गई थी। जो उसे हल्का पटवारी द्वारा नाप कर दी गई थी जिसे उसने अपने श्रम, धन से काबिल कास्त बनाया था। पुराने आराजी नं0 99/1 से नवीन आराजी नं0 112, 113 बनाये गये थे. जो अनावेदिका रेखा के ससुर वैजनाथ के नाम है जिन्होने दिनांक 24.06.2008 को अपनी बहू श्रीमती रेखा के नाम अवैध बिक्री कर दिया है। जिस पर अनावेदक का कोई हक कब्जा नहीं रहा है।

अनावेदक ने उपरोक्त आराजी नं0 112, 113 पर स्वत्व घोषणा हेतु व्यवहार वाद क्रं0 34ए/02 बैजनाथ बनाम् पंचू वगैरह पेश किया था जिसमें न्यायालय ने दावा प्रमाणित न पाने पर दिनांक 27.08.2004 को खारिज कर दिया था जो अन्तिम है। उपरोक्त आराजी

रेखासोनी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 827–एक/2017 जिला पन्ना

रेखा विरूद्ध रामशरण

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01–4–2017	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी अजयगढ़ जिला पन्ना के प्र0 क्र0 37/अपील/अ6अ/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 24–2–2017 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ अनुविभागीय अधिकारी के प्रश्नाधीन आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोक से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदक की अपील को म्याद के बाहर निरस्त किया है। कलेक्टर का आदेश अपील योग्य आदेश है, परन्तु आवेदक द्वारा इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है। दर्शित परिस्थितियों यह निगरानी आधारहीन होने से ग्राह्यता के स्तर पर निरस्त की जाती है। आवेदक चाहे तो सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने के स्वंतत्र है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0 एस0 अली) सदस्य	